

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 135 / 2017 राजस्व अपील

1. कजोड } पिसरान गंगल्या जाति मीना निवासी ग्राम कोरडा कलॉ
2. गिराज } तहसील सिकराय जिला दौसा
3. सीताराम }

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तह. सिकराय जिला दौसा
उपवानी प्रकरण सरकार बनाम कजोड वगै०, प्रकरण संख्या 220 / 2017
निर्णय दिनांक 12.09.2017 अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट

उपस्थिति : श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप०।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप०।

:- निर्णय :-

दिनांक: 12.02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का गुमानपुरा द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम कोरडा कलॉ तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन नदी भूमि खसरा नंबर 178 कुल रकबा 10.02 है० के कुछ हिस्से जिसका रकबा 0.20 है० पर बाजरा की काश्त कर व राजकीय चरागाह भूमि खसरा नं. 136 रकबा है० 0.30 है० के कुछ हिस्से जिसका रकबा 0.10 है० पर बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर कब्जा पश्चातवर्ती है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 21.09.2015 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति० जिला कलक्टर

दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।



बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई अन्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट्स का किसी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम कोरडा कलौ तहसील सिकराय में स्थित गैर मु0 नदी भूमि खसरा नंबर 178 कुल रकबा 10.02 है0 के कुछ हिस्से जिसका रकबा 0.20 है0 पर बाजरा की काश्त व राजकीय चरागाह भूमि खसरा नं. 136 रकबा है0 0.30 है0 के कुछ हिस्से जिसका रकबा 0.10 है0 पर बाडा का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 12.09.2017 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट्स द्वारा गैर मु0 नदी व राजकीय चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र


अति० जिला कलेक्टर

दौसा

प्रकरण संख्या : 135 / 2017 राजस्व अपील

प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स द्वारा ग्राम कोरडा कलों तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन नदी भूमि खसरा नंबर 178 कुल रकबा 10.02 है० के कुछ हिस्से जिसका रकबा 0.20 है० व राजकीय चरागाह भूमि खसरा नं. 136 रकबा है० 0.30 है० के कुछ हिस्से जिसका रकबा 0.10 है० पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.09.2017 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर, दौसा
दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर
अति० जिला कलेक्टर, दौसा
दौसा